PROF. K.V. THOMAS: This is just an idea. The main thing is that this will not be franchised.

SHRI S.S. AHLUWALIA: The Minister should not come out with off the cuff ideas. Yesterday, I spoke about National Physical Laboratory which was started in 1950. The prime work was this. Now, when we are making Legal Metrological Institutes — I belong to Jharkhand State. There is an Institute in Ranchi, Jharkhand also. — why don't you do this and involve the Instrumentation Engineers in this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the intention.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Like at the time of giving licence for pharmacy, you need a B.Pharma person.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, these suggestions are seriously considered. Now, coming to the qualification of the Directors, it can be addressed in the rules. Sir, the Director will be a well-qualified person.

Now, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

सर, यह बिल जो हम संसद के सामने ला रहे हैं, इसमें बहुत मूलभूत संशोधन शामिल किए गए हैं। लोक सभा में माननीय सदस्यों ने इसे 25 नवम्बर, 2009 को पारित कर दिया है। इस बिल को अब मैं आपके सामने रख रहा हूं इस बिल में संशोधन के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिए थे, वे हमने मान लिए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं - इस अधिनियम को Gender Neutral बनाने के लिए इसके टाइटल को बदल कर 'Employees Compensation Act' किया जा रहा है। वर्तमान में इसका शीर्षक 'Workmen Compensation Act' है।

इस अधिनियम के Schedule II में बहुत रैस्ट्रिक्शन्स थे, जिससे पूरा लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाता था। यह शैड्यूल खतरनाक उद्योगों की सूची है। हमने इस बारे में दिए गए सुझावों को मानते हुए सभी Restrictive Clauses को हटाने का प्रस्ताव रखा है। उदाहरण के तौर पर - जहां-जहां क्लैरिकल स्टाफ को कवर नहीं किया था, वे सब क्लॉजिज़ हमने Schedule II से हटा दिए हैं। जहां-जहां यह प्रावधान था कि केवल 20 या इससे ज्यादा काम करने वाले Establishment में यह कानून लागू होगा, इसे हमने हटा दिया है। इसी प्रकार जहां यह add किया हुआ था कि "पिछले बारह महीने में कम से कम एक दिन '25 या इससे ज्यादा' अथवा '50 या इससे ज्यादा' अथवा '10 या इससे ज्यादा' वर्कर्स काम करते हों, तभी वह खतरनाक Establishment या activity मानी जाएगी", इसको हमने हटा दिया है।

इसी Schedule II में कुछ जगह पर शिप वगैरह में 25 टन का जहाज या इससे ज्यादा का जो रैस्ट्रिक्शन था, वह भी हमने हटा दिया है। जहाज का जितना भी Tonnage हो, उस पर कार्य करने के दौरान अगर खतरा है, तो वर्कर को compensation मिलना चाहिए। वर्कर के परिवार को दाह-संस्कार के लिए अभी तक केवल 2500 रुपया मिलता था, इसे बढ़ाकर हमने ESIC के बराबर 5000 रुपया करने का प्रस्ताव रखा है। यह भी प्रस्ताव है कि सरकार इसे समय-समय पर Notification करके Price Index के हिसाब से बढ़ाती रहेगी।

इस अधिनियम में अधिकतम मजदूरी की सीमा जिस पर वर्कर को compensation दिया जा सकता है, वह 4000 रुपये है। हमने प्रस्ताव रखा है कि इसे भी सरकार Price Index के हिसाब से समय-समय पर बढ़ाती रहेगी।

वर्तमान में मजदूर को अगर कोई injury होती है, तो इलाज के खर्च Reimburse करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसे हमने डालने का प्रस्ताव आपके सामने रखा है। इसी प्रकार से Minimum Compensation की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है। जैसा कि death के case में 80 हजार रुपए से 1 लाख 20 हजार रुपए तथा permanent disability के case में 90 हजार रुपए से 1 लाख 40 हजार रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है।

महोदय, Workmen Compensation Commissioner वर्तमान में केवल राज्य सरकारों के अधिकारी होते हैं। उसमें special qualification का प्रावधान नहीं है। हमने अब Advocates तथा Judges को भी इसमें शामिल किया है। इसी प्रकार राज्य सरकारों के Gazetted Officers, जिनका qualification तथा experience अन्य क्षेत्रों, जैसे-Personnel Management, HRD तथा Industrial Development में हो, उन्हें भी eligible बनाया गया है।

उपसभापति जी, हमने इस बिल में पहली बार यह प्रस्ताव रखा है कि Compensation Commissioner मामलों का निपटारा केवल 3 महीने की अवधि में पूरा कर देंगे।

महोदय, इन संशोधनों से लाखों गरीब मजदूरों का भला होगा, जो कई तरह की गम्भीर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम Standing Committee की recommendations को मान कर संशोधन प्रस्तावों को संसद के सामने लाये हैं। मेरी यह कामना है कि आप सभी मिल कर इसका समर्थन करेंगे तथा इसे सर्वसम्मति से पास करेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ।

महोदय, यह बहुत ही अच्छा कानून है। जिन तब्दीलियों की वजह से, बदलावों की वजह से या amendments की वजह से बहुत से कामगारों को फायदा होता है, ऐसे कानून को अगर हम जल्दी-से-जल्दी मंजूरी दें, तो उसका अमल बहुत ही जल्दी होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ तथा तमाम सदस्यों से विनती करता हूँ कि इस कानून को पास कर के workers की, कार्मिकों की भलाई के लिए मदद करने की, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।

The question was proposed.

श्री उपसभापति: श्री के0बी0 शणप्पा।

श्री के0बी0 शणप्पा (कर्नाटक): धन्यवाद, उपसभापति जी।

महोदय, इन्होंने जो वर्तमान compensation का बिल रखा है, उसमें heading में Workmen बना दिया है और नीचे में उसको Employees बनाया है। अगर वह इसे 'The Employees Compensation Amendment Bill' कह कर लाते, तो it would have perfectly served the purpose. आपने यहाँ पर Employees किया है। खुशी की बात है कि इस देश में बहुत सालों के बाद, तकरीबन 80 सालों के बाद, जब आप लेबर मिनिस्टर बने हैं, तो थोड़ा-कुछ परिवर्तन लाने की चिन्ता की है।

3.00 **P.M.**

महोदय, वह मेरे फाज़िल दोस्त हैं। हम लोग एक ही district से आते हैं। वह गुलबर्गा के हमारे एम0पी0 भी हैं। मैं वहीं का वाशिंदा हूँ। ...*(व्यवधान)*... वह भी 40 सालों से राजनीति में हैं और मैं भी 40-50 सालों से राजनीति में हूँ। वह बहुत अच्छी तरह से 40 years में तकरीबन 10 बार चुन कर यहाँ आए हैं। He has got a good record. ...*(व्यवधान)*... जी हाँ, मैं 50 सालों से राजनीति में हूँ। वह कर्णाटक में एक अच्छे administrator के रूप में जाने जाते हैं। मुझे खुशी है कि आपके यहाँ आने के बाद यह पहला मौका है।

महोदय, working class बहुत ही कुचली हुआ जमात है। ये बिखरे हुए हैं। इनको ई0एस0आई0 का भी कोई safe guart नहीं है। वे contract में काम करते हैं, ship yard में काम करते हैं और माइंस में भी काम करते है। महोदय, ये बहुत सी ऐसी जगहों पर काम करते हैं, जो कि जोखिम भरा काम रहता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही हमदर्दी से यह कानून बनाया है। पहले जो कुछ भी था, इसे 1923 में बनाया गया था। इस तरह बहुत साल लग गए हैं। Britishers के जमाने में, मेहनतकशों के लिए उन्होंने थोड़े-से कानून बनाये थे।

देश के आजाद होने के बाद 1948 में आपने फैक्ट्री एक्ट बनाया जिसमें यह था कि किस तरह से फैक्ट्री होनी चाहिए, working class और management में क्या संबंध होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, पेमेन्ट ऑफ वेजेज क्या होना चाहिए, पेमेन्ट ऑफ वेजेज बोर्ड कैसा होना चाहिए और किन-किन मजदूरों को कितनी-कितनी सैलरी देनी चाहिए। इन 60 सालों के अंदर कई wage boards निकल गये। टेक्सटाइल वेज बोर्ड है, सीमेन्ट वेज बोर्ड है, इंजीनियरिंग वेज बोर्ड है, शुगर फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों को, अलग-अलग तरीके से आपने बहुत कुछ सहूलियतें दीं, लेकिन यह जो कानून आपने लाया है, इसमें ज्यादातर अमेंडमेंट की बात नहीं है। "workmen" की जगह पर आपने "employees" बना दिया। जो employee काम करते हुए मर जाता है, उसके funeral के लिए आप जो कई हजार रुपये देते थे, स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के बाद उसे अब आपने 3 हजार से लेकर 5 हजार तक का अमाउंट रखा है। मैं समझता हूँ कि मरने के बाद का यह जो पैसा है, this is not for the person who is dead. वह जिस कम्पनी में काम करता है, उसे जो कम्पेनसेशन मिलता है, वह तो चला गया। उसके ऊपर जो फैमिली डिपेंड रहती है, उसे पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड अथवा कंपेनसेशन का जो पैसा होता है, वह दिया जाता है। उसकी फैमिली जो सर्वाइव करती है, वह कितनी बड़ी है, यह किसी को पता नहीं चलता है। कानून को भी पता नहीं चलता कि उसके पीछे डिपेंडेंट लोग कितने हैं। अगर वह कम उम्र में मरता है तो इसको मल्टिप्लाई करके आपने 3 लाख या 4 लाख का प्रावधान किया है।

[**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन**) पीठासीन हुए]

मैं मंत्री महोदय से इतना ही बोलूँगा कि आप अच्छा कानून लाये हैं। I support you, लेकिन आप इतना कंजूस मत बनिये। आप बहुत कंजूस बन गये हैं। 5-10 हजार रुपये देने से क्या उसके funeral का खर्चा कम हो जाता है? अगर कोई क्रिश्चियन मर जाता है तो उसका coffin बनाने के लिए 10 हजार लगता है। हम जैसे कोई मरते हैं तो मिट्टी में गाड़ कर फेंक देते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी खर्चा है। लकड़ी द्वारा जलाने वालों के लिए तो न जाने लकड़ी का कितना भाव हो गया है! Is there any scientific study behind it? जब आप देते हैं तो दिल खोल कर दीजिए। दिल खोल कर दे दो। उसको 10 हजार बनाइये। मरने वाले के साथ आप यह क्या bargaining कर रहे हैं? I request the Chair to advise them not to do so.

दूसरी बात, आपने यहाँ पर कमीशन की बात छेड़ी है। आपने यह अच्छा किया है कि तीन महीने के अंदर इसका फैसला होगा। सर, मुझे पता है कि कभी-कभी कंपेनसेशन का पैसा देने के लिए भी वर्कमैन को कई बार सताया गया। अगर कोई वर्कमैन कम्पनी के काम के लिए जाते समय रास्ते में मर जाता है तो मैनेजमेंट बोलती

है कि वह तो मेरे premises में नहीं मरा, वह तो बाहर मर गया। उसका पैसा देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। वह तो कांट्रैक्ट लेबर था, वह कांट्रैक्ट के अधीन मर गया, इसलिए मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। आप इसमें principal employer का एक प्रावधान जरूर insert कीजिएगा। यह कभी-कभी होता है, लेकिन जिसके लिए वह आदमी अपनी जान देता है, उसकी जिम्मेदारी उस principal employer के ऊपर जानी चाहिए। एक मिडलमैन बोलता है कि मैं तो कांट्रैक्टर हूँ, मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं 4 लाख या 5 लाख दूँ। जब एक्सिडेंट होता है तो सरकार डिक्लेयर करती है कि उसको पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये। बाक़् में जो लोग मर गये, उनको एक-एक लाख, दो-दो लाख रुपये दिये गये। जो आदमी मरता है, वह कम्पनी की जिंदगी के लिए मरता है, वह अपने लिए नहीं मरता है। वह अपनी जान हथेली पर रख कर काम करता है। वह माइन्स में जाता है। गोल्ड माइन्स के बारे में आपको मालूम है। आपने वहाँ देखा है कि किस तरह से वह नीचे जाता है। अगर वह परमानेंट लेबर है, तब तो उसकी कोई गारंटी है। उसके लिए फैक्ट्री एक्ट है और उसके लिए वेज़ बोर्ड है, मगर इसके लिए क्या है? कांट्रैक्टर बोलता है कि साहब, यह मेरा लेबर नहीं है। कांट्रैक्टर के पास उसका कोई मस्टर नहीं है। आप इसमें यह प्रावधान रखिये कि जब कोई कंपेनसेशन के लिए क्लेम करता है तो उसके पास मस्टर है या नहीं। वह जैसे ही फर्स्ट मार्निंग में जाएगा तो उस मालिक के पास उसका हिसाब-किताब होना चाहिए।

आपने क्लर्कों के बारे में भी यहाँ पर एक सहूलियत दी है। It is good that instead of calling them 'workmen,' you are calling them 'employees.' जब हम कोई फैक्ट्री में काम करते थे तो वे हमको वर्कमैन नहीं बोलते थे।

वे बाबू कहते थे हमको, लेकिन तनख्वाह वर्कमैन से भी कम मिलती थी। आपने इनके बीच में जो डिफरेंसिएशन निकाला, वह बहुत खुशी की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो Factory Act, 1948 है, यह बहुत पुराना है, कानून भी बहुत पुराना है। यह कानून उस वक्त बना था जिस वक्त industries were completely handled by the manpower. तब जो सीमेंट फैक्ट्री होती थी, आपको मालूम है उसमें जब हम काम करते थे, I was an employee in the foundry, 3000 लोग काम करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 60-70 साल में टैक्नोलॉजी इतनी बक़् गई है कि जितनी प्रॉडक्शन हम निकालते थे, आज खाली 300 employees उतनी प्रॉडक्शन निकाल रहे हैं और accident का रेट भी कम हो गया है, क्योंकि वे contract labour के थ्रू काम करवाते हैं। श्री ऑस्कर फर्नांडिज़ साहब भी यहां बैठे हैं, वे हमारे लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं, he knows; उन्हीं के टाइम का यह बिल है। Contract labourers के बारे में he has very sympathetically taken the stand. I appreciate you, Sir. We salute you. At least, you thought for the unorganised labour, जिनके लिए कोई कानून नहीं था, जिनके लिए कोई safe guard करने वाला नहीं था, उन लोगों के बारे में सोचकर आपने जो पिछले सत्र में कानून बनाया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन, आज payment on compensation का जो बहुत ही छोटा मुद्दा आपने लिया है, आज के इस दौर में you should go through the book. Factory Act को लीजिए, इसमें बहुत से investigations होने हैं, बहुत से amendments होने हैं। 1948 Act बहुत पुराना है, ब्रिटिशर्स के हाथ में जो-जो कानून थे, उन्हीं में amendments करके आप लोगों के सामने लाए हैं. Kindly see that a new Factory Act is to be drafted, और एक कमिटी बनाइए, कितने ही ट्राइब्यूनल्स और अथॉरिटीज़ यहां पर हैं। बहुत से अच्छे लोग यहां पर हैं। Lower House में इसके ऊपर चर्चा हुई, यहां पर भी यही तो चर्चा हुई। मैं यह चाहूंगा कि पूरा संशोधन हो; you should have a complete thorough investigation in this labour act. चाहे Payment of compensation Act हो, Factory Act में standing orders हों, इन तमाम चीजों पर एक कमिटी बिठाइए, ताकि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में तकरार का सिलसिला न रहे। आज जो यह Compensation Act आया है, मैं इसके बारे में भी कहूंगा कि इसमें Standing Committee ने भी बहुत ही छोटी रिकमेंडेशन की है, यह जो ज्वाइंट कमिटी ने आपको रिपोर्ट की है, they have not gone through it. Very limited recommendation है यह

कि दो-अढ़ाई पास करो। On what basis have they recommended? 80,000 का 1,20,000 करो! नहीं, सर, ऐसा नहीं होगा। आदमी के मरने के बाद उसकी पूरी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। How much money is actually to be paid to you; उसको सारा पैसा एक ही साथ उसके हाथ में देना है या उसकी फैमिली को समय-समय पर देना है। इन तमाम चीजों का ब्यौरा इस कानून में होना चाहिए और contract labourers का आप एक रिकार्ड बनवाइए। So far, nobody has kept it. जहां पर education होता है, वहीं पर उनको शोहरत मिलती है और घर में काम करने वाले बहुत से employees हैं, वे घरों में काम करते हुए मर जाते हैं, atrocities की वजह से मारे जाते हैं। आपने पेपर में पढ़ा होगा how many ladies died, how many boys died in that, उनके बारे में आपने क्या किया है? Are they not the employees? मैं समझता हूं कि इस देश में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो होटल्स में काम करते हैं, उनके लिए क्या गारंटी है? 24 घंटे उनका हाथ पानी में रहता है, पानी की वजह से इतना गंदा रहता है कि उनके हाथ को कोक़् हो जाती है। उनको wage नहीं मिलती और जो हाथ पर gloves डालते हैं, वे भी उनको नहीं मिलते और कहीं भी safety equipments नहीं मिलते हैं।

इसी तरह salt workers हैं, और भी कई तरह के लोग हैं। Mines में काम करने वालों के लिए masks तक नहीं रहते हैं, उनकी सांस घुट जाती है। अभी चीन में हाल ही में कितना बड़ा हादसा हुआ। हमारे यहां भी इस तरह के बहुत से हादसे होते रहते हैं, लेकिन payment of compensation को और थोड़ा मज़बूती से लागू करना चाहिए। आदमी तो मर जाता है, लेकिन उसकी फैमिली के लिए, उनमें से किसी को नौकरी देनी चाहिए। You must make a provision in it that if a person dies while working, अगर उसका कोई dependent है, तो उसको compulsory तौर पर नौकरी देनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि आपने इसे मालिक के ऊपर छोड़ दिया है। कमिश्नर के पास कई बार, कई लोगों की अपील जाती है, तो वह कहते हैं कि नहीं, इनकी कंपनी में वह प्रावधान नहीं है। गवर्नमेंट में यह प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी काम करते हुए मरता है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को उसकी जगह पर ले लेते हैं, उसकी अपील भी एक ही साल के अंदर होती है, अगर कोई छोटा बच्चा है, तो उसके बड़ा होने तक नहीं, एक ही साल के अंदर लेते हैं। कंपनसेशन की जो प्रॉब्लम है, आप कंपनसेशन के लिए पैसे दीजिए, लेकिन उसके जो dependent members हैं, उनमें से किसी को तुरंत नौकरी देनी चाहिए। अगर ऐसा प्रोविजन आप करते हैं कि immediately उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए, तो मैं समझता हूं कि आपकी जो भावना है, यह कंपनसेशन देने के लिए अमेंडमेंट लाने की जो भावना है, इससे उन लोगों को कुछ मदद मिलेगी। इन सब चीजों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो प्रयास है, it is a good effort, but it should be a refined one. मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आप इसको स्टडी करके, thoroughly study करके इस देश के वर्किंग क्लास के लिए जो फैक्टरी ऐक्ट और लेबर कानून होना चाहिए, उसमें आप जरूरी अमेंडमेंट करेंगे, इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, I do support the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009, which has been prepared on the basis of the Report of the Arjun Kumar Sengupta Committee constituted by this Government and brought before the House today. This is a very positive legislation and, I think, it would have been better if the Bill had come much earlier. While supporting this Bill, I thank the hon. Minister of Labour, the Minister of State for Labour, the ex-Labour Minister, who is sitting in this House, during whose tenure it was drafted, and all the persons connected with the drafting of this Bill. The previous speaker

while supporting the Bill said that many Acts had been passed by the Parliament. But, unfortunately, no Governments other than the Congress Government took the initiatives to do that. If you look at the Labour Acts which are existing today in this country, you will find that all the Acts had been passed when the Congress Government was in power. It is a fact that the Inter-State Migrant Workmen (Regulation and Employment and Conditions of Service) Act, 1979 was passed when there was a Government other than the Congress. Having said that, I want to say that it reveals that the Congress Government is more sympathetic towards the welfare of the labour than any other Government. Of course, the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act was passed during the NDA Government regime. But that came into limelight in the form of an Ordinance when Shri Narasimha Rao was the Prime Minister and Shri P.A. Sangma was the Minister of Labour.

Now, coming back to this Bill, I want to mention here that the points which have been included in this Bill are very important. Take the case of compensation. When you talk about compensation, whether it is Delhi Metro or the Golden Quadrilateral roads or cement factories or mines or any other type of industries where the workers are working, if they die while working due to accident or any occupational disease or any other disease or any such things, they should be paid compensation.

We must realise that both the ESI and the Provident Fund do not cover the total workforce in the country. It is also a fact that if the social security schemes like the ESI and the Provident Fund had covered the total workforce, this piece of legislation would not have been very much relevant for the working class. We have around 400 million workers in our country. These two social security schemes, the ESI and the Provident Fund cover a minimum number of workers. Therefore, this piece of legislation is very much required in this country.

Now I come to a very important point. In all the labour Acts it has been mentioned that if a minimum number of 15 or 20 or 30 or 50 workers are working in a factory, then only this Act is applicable to them; otherwise, this Act is not applicable. I can see that there is no mention of this minimum requirement of number in this Bill. Now in this modern age, even 10 persons can run a factory. So there can be 10 persons or 15 persons or 20 persons or less than 10 persons who can run a factory, where there is always an apprehension of a fatal accident. I think this is a very important point. On the other hand, nowadays, in view of the changing global situation, these companies are giving contracts to big contractors or small contracts, this contractor or that contractor. Nobody knows where it ends. Ultimately, the benefit of compensation may not really go to the real family of the deceased or the injured person. So deletion of the number will definitely give benefit to the families of workers.

So far as the amount is concerned, I fully agree with the hon. Member who was just now speaking. The amount has been increased from Rs. 80,000 to Rs. 1,20,000 and from Rs. 90,000

to Rs. 1,40,000. Definitely, it is a good step. I fully support this step because this is what the Standing Committee has recommended, which is represented by not only the Members of the Congress Party but also the Members of different parties. This issue was discussed in the Standing Committee and all the Members gave their views. It would have been better if it had been increased to Rs. 5 lakhs. Of course, they might have discussed all the things involved in it, like the condition of employers, revenue, etc. If an accident occurs at any place, the Government announces a compensation of Rs. 50,000 or Rs. 1 lakh. Now in the case of an accident where the workers are involved, sometimes, they announce a compensation of Rs. 3 lakh or Rs. 5 lakh. So the amount which has been mentioned here is very less, but, definitely, it is a good move. It is also mentioned here that provided that the Central Government may by a notification in the Official Gazette, from time to time, enhance the amount of compensation mentioned in this clause. This Bill is empowering the Government to enhance the amount as and when required. They can also enhance the amount. I think that takes care of the concern expressed by the hon. Member.

If you look at the time limit, it is a very important clause. Suppose a person who belongs to Orissa, is working in Delhi and he dies in an accident. It is very difficult for the family of the deceased to come to Delhi from Orissa or Rajasthan or Bihar or from any other place to file a compensation case or whatever it may be. Our judicial system is such that, sometimes, it takes three years or four years or five years to decide a case. So this time limit of three months is a very important thing for the workers.

The other important issue is change of nomenclature from workmen to employees, which is again a very important thing.

Now, this word 'workmen' is a very old word. Maybe, in earlier times, women were not working. So, we called them 'workmen'. Perhaps, the word 'workmen' may not seem to include women. So, to have gender parity, we are changing the nomenclature. In our country, we have many words like workmen, employees, contractors, labourers, etc. 'Employees' is the more dignified word, and we can use the word 'employees' in place of 'workmen' in all the Acts. It should include all the workmen covered under the Trade Unions Act. That would give a moral boost to the workers. So, changing the nomenclature from 'workmen' to 'employees' is, definitely a good move.

Now, it is also a welcome move that the medical reimbursement costs have been increased. But, in my opinion, it could have been increased a little more. Here, I would want to draw the attention of the hon. Minister that while passing the Amendment Bill in the House, we should have given a thought to one more aspect. As the House is aware, we have lakhs and lakhs of compensation cases pending all over the country. In many cases, the cases have lapsed, and the families of victims have given up hopes. This could be because they are not able

to get the continued support of the Unions for a long time. It is well-known that the office-bearers change every year, and there are, at times, rivalries within the Union. So, for various reasons, the compensation cases, filed before the Compensation Commissioners, whether it is the Assistant Labour Commissioner, who has been notified to handle the cases, either have lapsed, or, sometimes, the employers are not interested to proceed with the case, or, sometimes, the families of the victims are not able to come and fight the case. I would like to know from the hon. Minister — he can give the information later on — as to how many compensation cases are pending, before the Compensation Commissioner, which are at least a year old. I would also request the hon. Minister to give an assurance, while replying to the debate, that he would see to it that the compensation cases are disposed of within a specified time-frame so that the affected families get the benefit. Secondly, I would like to know whether the lower level officers, or, to say, the BDO/Tahsildars would be given the power to handle these cases. Otherwise, even if you confine it to the Assistant Labour Commissioner, it so happens that there is one Commissioner for two or three districts, and that also creates difficulty in enabling the families of the victims to file cases and get the benefit. So, the Government should take a liberal view and nominate the officers at the block level and the Tahsil level, so that people can file for compensation and also get the benefit.

Sir, this, definitely, is a very good Bill, and the Amendments which have been brought forward are quite welcoming. While appreciating the hon. Minister for this, I once again support the Bill. Thank you, Sir.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this Bill. Sir, this Bill has already been passed by Lok Sabha and has come here. At the outset, while saying so, I would like to say that we will also pass the Bill. Having said that, I have certain observations to make on the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009. Sir, the Bill has taken certain laudable initiatives by enhancing the compensation and also by removing various restrictive clauses. My first point is, it is good that you have enhanced the compensation. There is no doubt about it. But at the present level, kindly consider that the enhancement is too meagre. You have kept a provision here that again for further enhancement, you need not come back to Parliament. The Government has empowered itself to increase it from time to time. But, at least, to make a beginning — I think, my friend, Shri Khuntia also told the same thing — the beginning should also look like a good beginning. The amount that is being given for death and permanent disablement is too meagre even for the most unorganised sector workers. So, this is one point.

Sir, my second point is that through this Bill an effort was made to liberalise the coverage. It is a welcome step. But, a close reading of the Bill will reveal certain ambiguities which are there in it. The contract workers and casual workers will become a victim of non-implementation and

non-coverage of it. You will find it when you go through clause by clause. There are certain restrictive clauses which have been removed. But, there still remains a scope for interpretation that casual and contract workers, even those whose names are there in the employment registers, I am not telling about those whose names are not written in employment registers, even for them, there is a problem of coverage. I think, precisely, that is one of the reasons as to why there is so much of accumulation of compensation cases throughout the country. Several thousands of cases are pending. I should not say that there are lakhs of cases, though my friend, Khuntia talked about lakhs of such cases. If not lakhs, I think, at least, there are several thousands of cases which are pending throughout the country. One of the basic factors for delay in those cases is the ambiguity about the employer-employee relationship, and as usual, neither the principal employer nor the contractor takes any responsibility for this. So, this is another thing which I want to bring to your notice. If you want to deliver this benefit to the workers through this Bill, if this is really put into implementation, these are the aspects which, I think, need to be reviewed. I would request the hon. Minister to give a close look to that.

Sir, my third point is this. I would like to draw your attention because this is closely related to workplace safety aspect. Nowadays, there has been a phenomenal increase in workplace level accidents. You must link it with the kind of situation the workers are facing at their workplace. It is linked with the nature of employment relationship. Sir, even in the Government Departments, in public sector units the manner in which contractorisation is increasing, the major jobs are getting outsourced, getting done by contractors, and that is creating a very big problem. So, naturally, this brings forth the issue of appropriate enforcement. For that purpose, having an appropriate enforcement machinery, duly manned, having enough manpower, having a thorough inspection machinery is of tremendous importance, if this Bill is really to deliver benefits to the intended beneficiaries among the working class who are contributing to your annual growth of the GDP in a very big way. It is the workers who are contributing in it. You just take right from December, 2008, till today. Many accidents have taken place during this period. In collieries, there are such places where these accidents have taken place. In a big fire in a factory in Faridabad more than 18 workers were killed. In the Sivakasi big fire, many workers were killed. In the Singrauli explosive factories, side by side, it happened. All these accidents have taken place from December, 2008 till today. In BALCO Captive Power Plant, the big chimney got collapsed, 41 workers were killed in that. Please go through the number of workers who have been killed in these accidents. These were the workers who were regular workers mostly. At all the places of accidents, there are reports that more workers were killed but their names were not in the register. So, that again reiterates the importance of proper enforcement; otherwise, all good intentions of passing this Bill will reduce it to a piece of paper in the statute books. I emphasis for the hon. Labour Minister this aspect particularly. While emphasising that, I

would like to draw the attention of the hon. Minister towards this, and urge him to review this Bill. We are now going to pass this Bill. Another Bill is pending in this House itself. That Bill is called Labour Laws Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments (Amendments) and Miscellaneous Provisions Bill. It is pending. Maybe, next week, we will be taking it up. While you are extending the coverage of the Workmen's Compensation Act, enhancing the benefit, in another Bill, you are bringing a provision to relieve the employers from the responsibility of submitting reports, annual returns, maintaining employment register in a very big way. On one side, you are enhancing the benefit. On another side, you are exempting employers from the basic labour laws including the Workmen's Compensation Act! On the one hand, you are enhancing the benefit, on the other hand you are bringing a Bill by which you are liberating the employers from their obligation to act according to those laws, basic laws.

Sir, what is it? An establishment employing up to 40 will be relieved or exempted or their obligation under all those labour-related Acts will stand substantially diluted. What do you mean by established employer up to 40? It is 70 per cent of the manufacturing and industrial establishments in the country. Anybody can consult the survey of industries, have a scrutiny; I think, I am correct. This is the fear I am living. You are liberating more than 70 per cent of the industrial and manufacturing establishments from the obligation of all labour laws including the Workmen's Compensation Act. At the same time, through this Act, you are enhancing the basic facilities and the benefit! I think, this Act and the next Act that is going to be coming in Parliament would work at cross purposes.

We are supporting this Bill with an earnest request to review the amount of compensation, strengthening the enforcement machinery, increasing the number of inspectors, arranging a regularly monitoring safety inspection teams in all the work places. You must take these steps; then only the purpose of the Bill for which it is brought is served. Along with that, I request you to please review and withdraw another Bill that is pending in Parliament which seeks to liberate the employer from all their obligations under all basic laws in more than 70 per cent of the industrial establishments in the country. Both the Bills would be working at cross purposes and I seriously urge upon the hon. Minister, while extending my support to this Bill, to consider withdrawal of the Bill which I just referred to.

With these few words, I conclude. Sir, thank you.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA (Rajasthan): Sir, can I put a question to the Minister? What is the jurisdiction of this Bill? I am putting this question because there is a dispute going on on off-shore/on-shore labourers between the Labour Ministry and the Ministry of Oil and Natural Gas. Does this Bill include only on-shore labourers or it also includes the off-shore labourers? Now that we have got deep sea exploration of oil, many workers are working at

very odd conditions in deep sea areas, in the Indian Ocean. What is the extent of jurisdiction of this Bill? Will they be covered by it or would the ONGC take care of them?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Madam, ONGC has denied taking care of them. Twelve nautical miles away from the shore, no Labour laws or the Indian laws would be applicable on them. They are denying it and it should be taken care.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: That is exactly what I wanted to bring to the notice of the hon. Minister. Is the Minister going to take care of these people through this Bill or he is going to bring in another legislation for the off-shore workers?

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009 का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई भी देता हूं। जिन लोगों के बारे में अब सोचा गया है, उनके बारे में बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, क्योंकि वह समाज का ऐसा तबका है, जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं।

महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें अभी और बहुत संशोधन करने की आवश्यकता है तथा इस विधेयक को और विस्तार से लाना चाहिए था। क्योंकि सन् 1948 में और आज 2009 में बहुत बड़ा अंतर है और बहुत अंतराल है। जैसे आपने अंत्येष्टि खर्चों को ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया है, ठीक है कि आपने कुछ बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाते समय इस बात को तो जरूर देखते कि 1948 में और 2009 में जो महंगाई का अंतराल बढ़ा है, वह बहुत बड़ा है। 1948 में कपड़े का रेट दो रुपये गज था और आज की तारीख में क्या मूल्य है, अगर उस रेश्यो के हिसाब से बढ़ाते तो निश्चित रूप से सभी वर्गों में, खासकर मजदूरों में इसका बड़ा भारी स्वागत होता। आज कहीं आकस्मिक दुर्घटना होती है, चाहे वह रेल की हो या किसी दूसरी जगह पर हो, तो पहले सरकार मुआवजे की घोषणा एक लाख रुपये या दो लाख रुपये की करती थी, लेकिन अब सरकार दस लाख या बीस लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा करती है। आपने मजदूरों के लिए जो दुर्घटना का मुआवजा है, वह केवल 80 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रुपये कर दिया है, मेरे विचार में यह बहुत कम है और आपको इस पर विचार करना चाहिए।

मेरा सरकार से और मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि विधेयक में जो कर्मकार शब्द की जगह पर कर्मचारी शब्द लाए हैं, इसमें इन्होंने अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के उपनियम में जितने भी चाहे रेल, पोत, वायुयान, मोटर यान, इन्हें देखकर लगता है कि जो खतरे के काम मजदूर करता है, उन क्षेत्रों को इसमें लिया गया है। जिस समय यह कानून बना था, उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। आज जितने कर्मचारी प्राईवेट क्षेत्र में काम करते हैं, उतने कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि जितना खतरा कर्मकारों के लिए कोयले की खदानों में है, उतना खतरा और किसी क्षेत्र में नहीं है। जहां पर प्राईवेट रूप में, ठेकेदारी प्रथा या अन्य प्रथा से काम होता है, उसमें 70 से 80 परसेंट लोग अब काम करने लगे हैं। चाहे मजदूर मकान बनाता है, चाहे कोयले की खदान में काम करता है, उन लोगों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी कोई न कोई प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि वहां पर काम करने वाले मजदूरों की ज्यादा संख्या होती है। अगर तीन मंजिला मकान पर पुताई करते समय या प्लास्टर करते समय या मकान का लेंटर डालते समय मजदूर छत से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो ठेकेदार उससे काम करवा रहा होता है, उससे पैसे मांगने की हिम्मत उसके घर वालों की नहीं पड़ती है। वह ऐसे मामलों में पैसा देता भी नहीं है, जब उसके परिवार वाले आते हैं, तो उनको समझा-बुझाकर और कहीं-कहीं पर तो पुलिस से

कहलवा कर उन्हें वापिस भेज देते हैं। कभी भी मजदूर के परिवार वालों को ठेकेदारों से कुछ नहीं मिलता है। आपको उनका प्रावधान करना होगा। यह अच्छी बात है कि इन्होंने कहा है कि हम तीन महीने में निपटारा कर देंगे, मगर निपटारा तो तब कर देंगे जब वह कमिश्नर के यहां जाएगा। जब मजदूर की वहां जाने की हैसियत ही नहीं है, तो निपटारा कैसे कर देंगें? ऐसे बहुत से केस होते हैं, जिनमें ठेकेदार मज़दूरों को वहीं से घर वापस कर देता है और उनको ठेकेदारों से कुछ नहीं मिलता है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। मंत्री जी को इस संबंध में भी सोचना चाहिए कि यह जो देश का मज़दूर वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, यह समाज का वह अंग है, जिससे हम कुछ न कुछ लेते ही हैं, इसका भला होना चाहिए। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आपने जिन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया है, इनका दायरा और बृहद करें तथा और बढ़ाएं। एक अन्य निवेदन यह है कि जो एकल मज़दूर काम करते हैं। जब हम कभी पहाड़ों पर जाते हैं या वैष्णो देवी की यात्रा पर भी देखते हैं कि एक चार आदमी एक पालकी को उठाकर किसी बुजुर्ग और असहाय महिला या पुरुष को दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं। वह इतना दुरूह रास्ता है कि वहां पर अक्सर एक्सिडेंट हो जाते हैं और उनका पैर फिसल जाता है तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। उन लोगों का न तो किसी से कांट्रेक्ट होता है और न वे किसी के कर्मचारी होते हैं, मगर वे भी खतरे की जगह पर काम कर रहे हैं। इसलिए आपको इनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं अंत में यही बात कहते हुए कि जो आप यह संशोधन लाए हैं, एक अच्छा कदम है, लेकिन और इसमें बड़े संशोधन तथा और बड़ी सोच की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करते हुए, यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और व्यावसायिक बीमारियों से होने वाले नुकसान में जो compensation का प्रावधान किया है, यह स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करते हुए, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, उसको कहना चाहता हूं। मैं इस बात का स्वागत भी करता हूं कि इन्होंने gender को neutral बना दिया, जिससे सभी कर्मचारियों को सुविधा मिल सकेगी। सन् 2002 की सेकंड लेबर कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर Workmen's Compensation Act में कुछ संशोधन करने के लिए कुछ प्रावधान आए हैं। इन्होंने जो Workmen की जगह Employee किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इससे तमाम emloyees को benefit मिलेगा।

सर, हमारे देश में 40 करोड़ से ज्यादा अन-आर्गनाइज्ड वर्कर्स हैं और बहुत सी जगहों पर उनके रेकार्ड्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं। अभी हमारे मित्र तपन कुमार सेन बाल्को का उदाहरण दे रहे थे। वहां पर एक्सिडेंट के बाद जब डेड बॉडी निकलती थी, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती थी क्योंकि उनका कोई रेकार्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा था। एक बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए और उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था। इसका यह कारण है कि वे अन-एजुकेटेड हैं। वे रूल्स नहीं जानते हैं और वे कॉन्ट्रेक्टर के अंडर काम करते हैं तथा काफी दबाव में रहते हैं। इस संदर्भ में इस कानून को थोड़ा और पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि उनकी पहुंच employer तक नहीं हो पाती है, जिसके बहुत से कारण हैं, वे अन-आर्गनाइज्ड या फाइनेंशियली वीक हैं।

इन सब चीजों को देकर, ये अपने एम्प्लोयर्स पर दबाव नहीं बना सकते हैं। इससे इनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सर, नोटिफिकेशन में इस बात को कहा गया है, बिल के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है 'It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.' इसका मतलब है कि राष्ट्रपति महोदया के तुरंत हस्ताक्षर के बाद भी इम्प्लिमेंट नहीं होगा, इसमें और देर लगने की संभावना है, इसलिए इसमें इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए कि इसको राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर के तुरंत बाद implement कर दिया जाए। सर,

compensation में क्लॉज 7 (a) में मृत्यु की अवस्था में अमाउंट 80,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपया किया जा रहा है। जो परमानेंट डिसएबल्ड हो जाएंगे, ऐसी अवस्था में यह 90,000 रुपए से बढ़ाकर 1,40,000 रुपए किया जा रहा है। हमारे तमाम साथियों ने कहा है कि यह अमाउंट बहुत ही नेग्लिजेबल है। अभी एक माननीय सदस्य बाल्को की बात कह रहे थे, जहां अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है, वहां सरकार ने खुद घोषणा की है कि उनको पांच लाख दिया जाएगा, जबकि यहां पर 1,40,000 रुपये देने के बारे में कहा जा रहा है। इस मायने में मेरा एक सुझाव है और मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय इसे ग्रहण करेंगे कि यह जो मिनिमम अमाउंट है - एम्प्लॉयर तो देना नहीं चाहते हैं, इसलिए मृत्यु के केस में कम से कम पांच लाख रुपए और परमानेंट डिसएबिलिटी के केस में आज की बाजार दर को देखते हुए छह लाख रुपए करना चाहिए। हम जानते हैं कि मिनिमम वेजेस ऐक्ट है, लेकिन बिल्डिंग एण्ड कांट्रेक्टर्स वर्कर्स में मिनिमम वेजेस ऐक्ट इम्प्लिमेंट नहीं होता है, इसलिए मंत्री महोदय को यह अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। यह compensation पांच लाख और परमानेंट डिसएबिलिटी के केस में छह लाख रुपए करना चाहिए। इन्होंने एक प्रोविजन रखा है कि सरकार बीच-बीच में इसको बढ़ा सकती है। अभी एक अच्छी शुरुआत हो, इसलिए इसके क्लॉज 9 (a) में इस तरह से संशोधन कर देना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी कोर्ट्स में compensation commissioner ही नहीं है। वह बरसों से नहीं है, इसलिए तमाम केसेज़ पेंडिंग हैं। इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसकी एक परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात और है, अगर compensation का केस तीन महीने में इम्प्लिमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ दण्ड का प्रोविजन होना चाहिए या वर्कमैन compensation का पैसा, जो बरसों से पड़ा है, उसको कंपाउन्ड इंट्रस्ट एटलीस्ट बैंक रेट से मिलना चाहिए। इस तरह का एक प्रोविजन इसमें होना चाहिए। एक शुरूआत इस तरह से देने की होनी चाहिए। सर, मैं इसको इम्प्लिमेंट करने की बात कह रहा हूं। मैं बहुत से ऐक्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मैं एक बात कहूंगा जो कि एक लेजिटिमेट डिमांड है, आप कहेंगे कि मैं जल्दी से खत्म कर दूं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वे मजबूर हैं, यह उन तक पहुंच सके, इस ऐक्ट को इस तरह के प्रावधान से थोड़ा सा और उनकी तरफ, उनकी सुविधा के लिए प्रोविजन में जोड़ा जाना चाहिए। सर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि बहुत सी बीमारियां हैं। इस तरह की करीब पचास इन्जरीज हैं, जिनके लिए इसमें प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ इंटरनल इन्जरीज होती हैं और इंटरनल इंजरीज का कोई असेसमेंट नहीं होता है। जैसे जो लोग पत्थर की खदान में काम करते हैं, उनको सिल्कोसिस हो जाता है। इस इंटरनल इन्जरी का माप करने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। इंटरनल इन्जरी में आदमी की डेथ तक हो जाती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनको कैसे कम्पनसेट किया जा सके, इस तरह का भी प्रावधन इसमें होना चाहिए। जो लोग इंटरनल इन्जरी में अफेक्टिड हो गए हैं, उनका सांइटिफिकली टेस्ट कराकर कम्पनसेट किया जा सके, इसमें इस तरह का संशोधन जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कैमिकल फैक्ट्री ही नहीं और भी दूसरी फैक्ट्रियां हैं, आजकल काफी हैज़ारडस फैक्ट्रीज आ गई हैं, जिनसे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में भी नुकसान हो रहा है, इंटरनल इंजरी हो रही है, इन तमाम चीजों को उसमें लाया जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट की उत्तम व्यवस्था की जाए, उनको कम्पनसेट किया जाए। धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity.

Sir, I rise to support this Amendment Bill. The Workmen's Compensation Act, 1923 provides for payment of compensation to workmen and their dependants in the case of industrial accident, in the case of injury caused due to industrial accidents, including occupational diseases arising out of and during the course of employment resulting in death or disablement.

Sir, this Bill is very meticulously drafted. The Second National Commission on Labour, constituted in 2002, have gone into this Act and have given some recommendations and those recommendations have been examined by the concerned Ministries, Departments, State Governments and Union Territories, and, simultaneously, a Bill was introduced in the 14th Lok Sabha in September, 2008. Sir, why I am referring to the exact date is, as soon as the Bill was introduced in the Lok Sabha, it was referred to the Standing Committee and the Standing Committee, within three months, had submitted its report to the Parliament with certain recommendations but due to the dissolution of Lok Sabha, the Bill got lapsed and now it has been introduced. This Bill contains amendments and many things are to be welcomed.

The foremost is the substitution of the word 'workman' with 'employee' for the law is applicable to all employees and mostly it is gender neutral. All my colleagues who are fighting for 33 per cent would appreciate that the time is ripen that every possible action is being taken on this route, and removing this gender disparity by way of substituting a word in Bill indicates the actual mind of this Government.

Secondly, the enhancement — as my all other colleagues have pointed out — of the compensation payable to a worker for death has been increased from Rs. 80,000 to Rs. 1,20,000 and so also for disability, it is from Rs. 90,000 to Rs. 1,40,000. Sir, what I don't understand is, in Tamil Nadu Government, even for the unorganized sector workers, if any unorganized sector worker dies, his family is compensated with Rs. 1 lakh. Compared to that, this is very less and I couldn't understand the rationale behind how a disabled person is getting more whereas the dependant of a diseased person is getting less? ...*(Interruptions)*... Excuse me. I am trying to bring something to the notice of the Minister. The disabled person is getting Rs. 1,40,000, whereas, a diseased person and his dependants will get only Rs. 1,20,000. If the argument goes in a way, as my senior colleague, the former Minister, told me very clearly, that the man who is disabled has to undergo much pains, he lives in anguish, his future life is at stake and so he wants this enhancement. But as far as I am concerned, Sir, what I would like to submit to the Minister is, a disabled person, of course, undergoes some miseries. But, at the same time, if a person dies, his family is totally deprived of any income or any person to support. So, I would like to suggest to the Minister that the compensation given for the dependants of a person who has died should be enhanced more than to that of the disabled or, at least, both should be equal. This is my suggestion. Sir, there are two other things which are to be very much welcomed.

The amendment made in Section 4 of the principal Act says, 'Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, from time to time, enhance the amount of compensation mentioned in clauses (a) and (b).' So, by way of notification itself it empowers the Government to enhance the compensation or the minimum wages. So also, sub-section (1)

of Section 20 of the principal Act says, 'after the words "appoint any person"— this is an amendment to be welcomed wholeheartedly by all— the words "who is or has been a member of a State Judicial Service for a period of not less than five years or is or has been for not less than five years an advocate or a pleader or is or has been a Gazetted Officer for not less than five years having educational qualifications and experience in personnel management, human resource development and industrial relations" shall be inserted'. So, this lays some qualifications for the Commission. Earlier, we could not understand, Sir, how any person without any qualification could have been made Commissioner. It has been existing for all these days. And it is the right time that the condition that the Commissioner has to possess some qualifications has been brought in.

Another provision that has been provided for in this Act is that any matter relating to compensation must be disposed of within a period of three months from the date of reference. This time fixation will fetch the affected persons the necessary compensation that has to reach them. After death or disability of any person, a workman, hereafter to be called an employee, for the family which has to run hither and tither to get compensation, it is a very strenuous effort and this provision would assure them that they would get compensation within three months.

My foremost query to the hon. Minister is: It is said that this Act is not applicable to the employees who are covered under the Employees State Insurance Act, 1948. I can understand that. But, at the same time, this Act includes a Master Seaman or other members of the crew of a ship, a Captain or other member of the crew of an aircraft. So, while the Captain of an aircraft can be included in this, whereas he is eligible for some compensation in any other manner, I don't understand why employees who come under the ESI are exempted. While making these points for consideration, I welcome this Bill for all the amendments that have been made, at least, now; they should have been brought in much earlier. I hope, the points that I have made to the Minister would be considered and they would bring relief to the employees in future.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो 'The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009' लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। यह बहुत ही सही समय पर, बहुत ही उचित बिल लाया गया है। अभी यहां पर बहुत कुछ कहा गया है, मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करूंगी। सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि यहां जो compensation के बारे में कहा गया है कि employee की death पर हम 1,40,000 रुपया देने जा रहे हैं और permanent disability के लिए 1,60,000 रुपया देने जा रहे हैं। यहां पर मेरा प्वाइंट यह है कि जो एक्सिडेंट में घायल हो जाते हैं और जिन्हें पांच-पाचं, छः-छः महीने बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है, उनके लिए compensation उतना नहीं रखा गया है, जबकि उनको compensation की ज्यादा जरूरत होती है। एक्सिडेंट में कई बार व्यक्ति की बाजू टूट जाती है, टांग टूट जाती है, कई बार स्पाइनल इंजरीज़ हो जाती हैं अथवा कुछ और इंजरीज़ हो जाती हैं, ऐसे में उनके इलाज के लिए जो compensation दिया जाता है, वह बहुत कम होता है।

4.00 **P.M.**

मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगी कि इस Bill में वह इसे जरूर लाए। जहां इन्होंने मरने के बाद और permanent injury के लिए पैसा दिया है, वहां पर इलाज के लिए भी पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। वे कहीं पर भी काम करते हैं और जो उनके मालिक हैं, जरूरी नहीं है कि वे उन लोगों को नौकरी पर वापस रख लें। इनको यह बात भी इसमें लानी चाहिए कि जिस जगह पर जिन employees का काम करते समय accident हुआ, चाहे वह कोयले की खदान हो या कोई और जगह हो, वहाँ पर उनको दोबारा service मिले, उन्हें employment मिले। इन्हें इसका भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वे लोग इन्हें कह देते हैं कि "नहीं-नहीं, अब आप काम करने के योग्य नहीं रहे।" वे लोग न तो permanent disabled होते हैं कि बेड पर पड़े हैं और न ही वे कहीं और जा पाते हैं। इसलिए इस बात का भी प्रावधान इसमें जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही उनकी treatment के लिए ज्यादा-से-ज्यादा compensation होना चाहिए, क्योंकि बीमारी के बाद इलाज के समय उनके पास इतना पैसा नहीं होता, जिसके कारण वे ढंग से इलाज नहीं करवा सकते हैं। इसलिए मैं यह चाहूँगी कि इसमें यह एक provision जरूर रखना चाहिए, जिससे कि इलाज के लिए उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा compensation मिल सके, उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा पैसा मिल सके, चाहे वे जिनके employees हैं, वे इन्हें दें या Government दे। इस प्रकार जिस तरह से भी हो, इसका प्रावधान इसमें रखना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि compensation देने में बहुत विलम्ब हो जाती है। जैसा इन्होंने कहा कि जो tribunal बने हैं, उनमें Commissioners ही नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हमारे यहाँ रोहतांग में मजदूरों की death हुई है। वे बाहर के मजदूर थे। यहाँ तक कि उन लोगों के रिश्तेदारों को यहाँ आने के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने डी0सी0, कुल्लू को कहा कि आप इनका दाह संस्कार यहीं कर दीजिए। अब मुझे यह बताइए कि ऐसे में वे compensation के लिए इतनी दूर, दूसरे स्टेट में, कैसे आएँगे? उनके पास किराए के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? इस तरह इसमें एक प्रावधान यह भी होना चाहिए कि चाहे तो उनका केस वहाँ की कोर्ट में transfer हो जाए या वहाँ की गवर्नमेंट को लिखा जाए कि "इतने-इतने लोगों का ऐसा हुआ है, यह Death Certificate है, यह उनका पूरा ब्योरा है", जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट ही उनको compensation दे सके। क्योंकि, यह जो आना होता है और बार-बार चक्कर लगाने होते हैं, इसमें उतना compensation नहीं मिलता जितना उन लोगों का खर्च हो जाता है। जो एक aggrieved employee है, ठीक है, आपने उसे "**मजूदर**" से "Employee" कर दिया, यह एक dignified बात है, लेकिन उसके रिश्तेदार कहाँ आ पाएँगे, कहाँ वे जा पाएँगे? इसी में वे चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी correspondence होती रहती है। इसमें छः-छः महीने बीत जाते हैं, लेकिन उनको compensation नहीं मिलता। सर, मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्रावधान रखा जाए।

तीसरी बात यह है कि अभी सभी ने Contractors की बात कही। मैं भी कहूँगी कि जो factories हैं, जो असली हैं, वे बहुत कम मजदूर रखती हैं, बहुत कम employee रखती हैं, बाकी contract पर रखती हैं। Contractor के साथ उनका कोई मेल नहीं होता। अगर contract के अन्दर किसी employee की या किसी मजदूर की या किसी की भी death हो जाती है या accident में कुछ हो जाता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यह contract का जो system है, इसको खत्म करके, यह कहा जाना चाहिए कि आप direct और सही employees रखिए, जिससे कि उन लोगों को फायदा हो सके या जिससे कि इन चीजों के लिए जो bills आ रहे हैं या जो amendments आ रही हैं, इनका वे फायदा उठा सकें। इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, जब भाषा को लेकर देश में विवाद होता है, तब इस संसद में हम जो भी कार्य करते हैं, सारा कुछ भाषा की दृष्टि से ध्यान देते हुए किया जाना चाहिए या फिर इसमें अगर कोई तकनीकी त्रुटि है, उसे भी मंत्री महोदय को देखना चाहिए। जैसे इसमें अंग्रेजी में "as passed

by Lok Sabha on 25th November" लिखा हुआ है। यह हमको दिया गया है। इसमें कहा गया है कि "This Act may be called The Workmen's Compensation (Amendment) Act." हालांकि मंत्री जी ने कहा कि उनको "employees" नाम देंगे। English में लिखा है "This Act may be called" वहीं हिन्दी में इसमें लिखा है कि 'इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2009" है।' अंग्रेजी में "may be" और हिन्दी में "यह है" लिखा है। लोक सभा ने इसे पारित करके हमारे सदन में दिया है।

महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि इसमें "कर्मकार प्रतिकर" के स्थान पर "कर्मकार प्रतिकर" कर देंगे, लेकिन हमें जो पेपर दिया गया है, उसमें ऐसा नहीं है। यह एक महज संयोग की बात है। अगर माननीय मंत्री महोदय को इस तर्क का या इस वितर्क का पहला वक्ता माना जाए...। माननीय मंत्री महोदय कर्णाटक से आते हैं और हमारे विपक्ष की ओर से पहले स्पीकर श्री शणप्पा जी भी कर्णाटक के हैं। कांग्रेस की ओर से जो पहले स्पीकर थे, जिनको हम दूसरा स्पीकर मानेंगे, श्री खूंटिआ जी, वह संयोग से उड़ीसा से आते हैं और भाजपा का दूसरा स्पीकर, मैं भी उड़ीसा से आता हूँ। यहाँ पर अभी तक जितने सदस्य बोले, बहुत ही धनात्मक ढंग से बोले। चाहे वह सीपीआई के हों या सीपीएम के हों, यहाँ तक कि कांग्रेस की जो दूसरी वक्ता श्रीमती विप्लव ठाकुर जी हैं, हम आपस में नोक-झोंक करते हैं, लेकिन आज उनका यहाँ पर जो भाषण रहा, वह बहुत ही धनात्मक रहा। इसमें पार्टी का मामला नहीं रहा, लेकिन यह संयोग और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के पहले वक्ता, जो कि एक ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, श्रमिक आंदोलन से आते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ही सारे श्रम कानून लाती है। उन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया।

महोदय, स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके पेज़ 4 के पैरा 8 में है,

"The funeral expenses of the deceased employee have been proposed to be raised to Rs. 3,000 from Rs. 2500. When the Committee sought to know that since when Rs. 2500 was being paid as funeral expenses, and whether it was sufficient to meet the entire expenditure, the Ministry, in their written reply, stated as under: "The funeral expenses was increased from Rs.1,000 to Rs.2500 with effect from 8th December, 2000." उसके बाद, ईएसआई कितना दिया जाता है, उसका जिक्र किया गया है।

महोदय, मैं संयोग से इस स्टैंडिंग कमेटी में मैम्बर हूँ। उस समय स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सीपीआई के श्री सुरावरम सुधाकर रेड्डी जी थे। उस समय हमारी कमेटी ने यह प्रश्न किया कि क्या इस ढाई हजार से काम चलेगा? क्या तीन हजार से काम चलेगा? उन्होंने कहा कि 2000 में उसको एक हजार से ढाई हजार बढ़ाया गया था। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 2000 में किसकी सरकार थी? सारी दुनिया जानती है कि 2000 में राजग की सरकार थी और उसके प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगर इस कानून के अंदर सरकार, मंत्रिमंडल और मंत्रालय सख्ती लेना चाहता है कि हम समय-समय पर इसकी बढ़ोत्तरी करेंगे, महंगाई के कारण हम इसमें बढ़ोत्तरी करेंगे और प्रत्येक समय जो बढ़ोत्तरी होगी, उसके लिए हम संसद के पास नहीं जाएंगे। यह enactment होता है, यह तो संशोधन का कानून है। यह इस देश के श्रमिकों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए बहुत कुछ देने वाला कानून नहीं है। आप केवल इसके एक शब्द का परिवर्तन करते हैं। "कर्मकार" से "कर्मचारी" करते हैं, "workmen" से "employees" करते हैं और जो ढाई-तीन हजार आप देते हैं, उसकी सीलिंग को आप बढ़ाते हैं।

महोदय, आज सरकार के मन में एकाधिकार वाली भावना नहीं होनी चाहिए। यह सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू , इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बहुमत वाली सरकार जैसी सरकार नहीं है। यह सरकार आज भी बैसाखी के आधार पर चल रही है। यह बात सही है कि पिछली बार कांग्रेस के 145 मैम्बर्स

जीते थे और आज 206 मैम्बर्स हैं। महोदय, यह सरकार आज भी यूपीए की सरकार कहलाती है। यह कांग्रेस की सरकार नहीं है। ध्यान देना चाहिए कि महंगाई को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी कहा गया।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): However, it is the Congress-led Government.

श्री रुद्रनारायण पाणि : शान्ताराम जी, आप यह घमंड अपने मन में मत रखिये। यह Congress-led सरकार हो सकती है, but, it is not the Congress Government as it was the Government of Shrimati Indira Gandhi, or as it was the Government of Pandit Jawaharlal Nehru. महोदय, मेरा विषय इतना है कि एक साल पहले दिसम्बर ...(**व्यवधान**) ...

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा (महाराष्ट्र) : पाणि जी, आपने इंदिरा जी को compliment दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री रुद्रनारायण पाणि : लेकिन इंदिरा जी के शासन करने का जो तरीका था, आज वह आपमें नहीं है और आगे चल कर यह पता चल जाएगा। महोदय, मेरा यह कहना था कि दिसम्बर, 2008 को स्टेंडिंग कमिटी ने इस पर सोचा था। मंत्री महोदय शुरु में बोले कि स्टेंडिंग कमिटी ने जो-जो सुझाव दिए हैं, उनको हमने वैसे ही ग्रहण कर लिया है, यह पूरा सत्य नहीं है, कहा जा सकता है कि यह 75% सत्य है। महोदय, स्टेंडिंग कमिटी ने कहा था कि कॉंट्रेक्ट लेबर को भी इसमें शामिल करिए। आप कर्मकार शब्द को कर्मचारी में परिवर्तित करते हैं, आप कहते हैं कि स्टेंडिंग कमिटी ने उस समय पांच हजार किया था, इसलिए हम मान लेते हैं, किन्तु स्टेंडिंग कमिटी ने उस समय कहा था कि कॉंट्रेक्ट लेबर्स को आप इसमें शामिल कीजिए, क्या आप उसको ग्रहण किए हैं? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि दिसम्बर, 2008 में दाल का क्या भाव था, आज दाल का क्या भाव है? उस समय चावल का क्या भाव था? मैं आप ही के शासन के समय की बात कर रहा हूं। मैं अटल जी के शासन के समय की बात नहीं करता हूं, उस समय तो महंगाई को बांधा गया था। किन्तु, मैं पूछना चाहता हूं कि 2008 में जो कीमत थी, क्या आज 2009 में वही कीमत है? नहीं है। दोबारा सत्ता में आने के बाद आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, यह एक अलग विषय है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। महंगाई जो बढ़ी है, यह सर्वस्वीकृत है और इसने कर्मचारी, कर्मकार और गरीब मजदूर की ही नहीं, बल्कि मिडल क्लॉस और अपर मिडल क्लॉस के लोगों की कमर को भी तोड़ दिया है। यह एक अलग विषय है, किन्तु सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि जितनी इसमें बढ़ोत्तरी की गई है, उतनी उनको प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आपको इसके बारे में सोचना होगा। मैं आपसे कह रहा था कि आपने केवल employee करके इसको gender neutral कर दिया है, इससे आप शाबाशी मत लीजिए, यह शाबाशी आप मत लीजिए। व्याकरण के लिए आपको असुविधा होती थी, इसलिए आपने इसे gender neutral कर दिया है, यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है।

आज आप भारत निर्माण की बात करते हैं। आज देश में शारीरिक श्रम के प्रति एक श्रद्धा का जागरण हुआ है। मैं यहां पर कई बार कह चुका हूं कि जो सुपरवाइज़री बात करते हैं, जो केवल बैठकर भाषण दे देते हैं, उनसे काम नहीं होता है। आप किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बैठक करते हैं, लेकिन बैठक के लिए जो कुर्सी लाता है, बैठक के लिए जो चाय लेकर आता है, वही शारीरिक परिश्रम करता है। हमने महात्मा गांधी को महात्मा इसीलिए कहा क्योंकि वे केवल भाषण नहीं देते थे, वे आपको केवल सुझाव नहीं देते थे, बल्कि साथ ही साथ वे परिश्रम करते थे। इसलिए जो वर्कमैन था, वह श्रमजीवी के आधार पर था। आज दुनिया में दृष्टिकोण बदला है, हरेक काम के लिए लोग लड़ रहे हैं। इसलिए वर्कमैन से आप इम्प्लॉयी तक आए हैं, कर्मकार से

आप कर्मचारी तक आए हैं, श्रमिक से आप कर्मचारी तक आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे मित्र श्री आर0सी0 सिंह भी कह रहे थे कि इस देश में लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। 40 क्या, 45 करोड़ भी असंगठित क्षेत्र में होंगे। खेत में जो काम करता है, उस खेत किसान, खेत मजदूर के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? आपने पिछले साल असंगठित क्षेत्र के विधेयक को यहां पर कानून में तब्दील किया और वाहवाही लेनी शुरु कर दी कि हमारी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए कानून बना दिया है, किन्तु उसके लिए आर्थिक प्रावधान कहां पर हैं? हमने कहा था और संयोग से श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त जी किसके विचार से संसद में आए हुए हैं, यह दुनिया को पता है। श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त जी हमारी लेबर कमिटी में थे और उन्होंने एक सुझाव दिया था कि नाबार्ड की तर्ज पर नेशनल सोशल सिक्युरिटी फंड क्रिएट किया जाए और उसी फंड से ही आप जिस सोशल सिक्युरिटी की बात करते हैं, उसके लिए स्कीम चलाएं, उसके लिए उसी से आप फंडिंग करें। Without making any provision for funds, you are claiming that you have passed the Bill, and, enacted the Act, namely, the Unorganized Workersङ Social Security Act. किन्तु, उसके लिए पैसे का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। आपने उस समय कहा था कि इस देश के खेतिहर मजदूरों के लिए आप एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाएंगे। हमने भी बार-बार डिमांड की थी कि खेत में जो गरीब किसान काम करते हैं, जो सीमांत किसान काम करते हैं, जो marginal farmers काम करते हैं, जिनको हमारी उड़िया भाषा में "भागोचासी" कहते हैं, आज उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। आप उनको किसानों और मज़दूरों में मत बांटिए। वह आधा एकड़ जमीन का मालिक है, वह अपनी ज़िंदगी उसी में दे देता है, वहां पर वह काम करता है, वह खेतिहर मज़दूर के बराबर है, उसकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आज खेतिहर मज़दूर की जो liabilities हैं, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि खेतिहर मज़दूर के बारे में आप एक Comprehensive Bill लाएंगे, वह आज तक आप नहीं ला पाए हैं।

आप वाहवाही लूटते हैं कि "नरेगा" के माध्यम से हमने इतना employment दिया। आज सुबह प्रश्न काल में "नरेगा" के ऊपर हंगामा भी हुआ। जो लोग "नरेगा" में काम करते हैं, अगर उनमें से किसी के साथ हादसा हो जाए, किसी एक्सीडेंट में कोई मर जाए, तो उसके लिए आप कहां से प्रावधान करेंगे? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है, पूरा का पूरा हाउस इसका समर्थन कर रहा है, इसलिए यह पारित हो जाएगा, लेकिन आपको इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि इस देश में असंगठित क्षेत्र के नाम पर जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, "नरेगा" के तहत काम करने वाले लोग हैं, खेतिहर मज़दूर हैं, इन लोगों को आप कोई हादसा होने पर कैसे मुआवजय देंगे, इसके लिए आपको ढंग से सोचना होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक विषय है, जो रेलवे के बारे में है। रेलवे के कर्मचारियों का इसमें समावेश करने के लिए एक क्लाज़ भी है। अंत में मैं इतना कहूंगा कि यह तो समाविष्ट हो गया है, हम लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आप अगर कर्मचारियों का हित चाहते हैं, "कर्मचारी" शब्द के अंतर्गत जितने लोग हैं, अगर उन सबका कल्याण आप चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कर्मचारी की एक ही मानसिकता होती है, जो कि इस देश की मानसिकता है और वह लोकतंत्रीय मानसिकता है। कर्मचारी हमेशा चाहता है कि एक प्रकार से चुनाव के माध्यम से उसका उस समय का नेता तय हो। इसलिए रेलवे के कर्मचारियों के नेताओं के चुनाव की व्यवस्था जो 2005 में हुई, वह पारदर्शी नहीं थी, उसमें श्रम मंत्रालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाया। इसलिए मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 3-4 साल हो गए हैं, रेलवे के कर्मचारियों के नेताओं के चुनाव विधिवत जयेनवाइज़ करवाने की ओर ध्यान दिया जाए।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संसद के एक ही परिसर में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, सुरक्षा के कर्मी काम करते हैं, लोक सभा के कर्मचारी काम करते हैं, राज्य सभा के कर्मचारी काम करते हैं।

एक ही परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में, सुविधाओं में कोई विसंगति नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे गहराई से निवेदन करता हूं कि राज्य सभा के जो कर्मचारी हैं, उन लोगों के प्रति भी न्याय किया जाए। लोक सभा के कर्मचारियों को जो सुविधा दी जाती है, समान सुविधा, राज्य सभा के कर्मचारियों को भी दी जाए। आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया और सभी लोगों ने इतना आग्रहपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman. Sir, no Act, whether the colonial rule or the Congress rule, comes in the vacuum. Behind this Act, there was people's struggle, working class struggle. If you see the first Act of 1923, you can see that there was a lot of struggle before that Compensation Act. So, the rulers are forced to bring certain amendments, certain laws to protect the working class. That becomes a part of their job. Without struggle, no Act has come. Even the Compensation Act of 1923 came only like that. Some Acts, as correctly pointed out by my colleague, Tapan Kumar Sen, has correctly stated many Acts though they are there on papers, they are not implemented. The other day I made a Special Mention that no Central Act had been implemented in Sivakasi Fireworks. Thousands and thousands of workers are suffering. So, I want to suggest two things here. One, the compensation should be enhanced immediately in this Act. I want the Minister to consider that.

Two, under clause 25A, the Commissioner shall dispose of the matter relating to compensation under this Act within a period of three months from the date of reference. It is a good thing. But what happens is after the Commissioner gives an award, the concerned worker has to go through a process. First he has to go to civil court. If he gets any relief there, the employer moves the High Court and gets a stay. That is why thousands of cases are pending in the courts. So, I request the Minister to amend the Act and give the power of a civil court judge to the Commissioner. If you give the power of the civil court judge to the Commissioner, then also the employer can go to the High Court, but he has to deposit 50 per cent of the amount and the worker gets immediate relief. Now the worker is not getting any relief. The litigation goes on in the High Court and then the Supreme Court and in the meantime he dies. So, I request you to amend that and the Commissioner should have the power of a civil court judge. That must be considered.

Another thing I want to say is this. This power is not a new thing. The Provident Fund Authority is having that power. The ESI Authority has got that power. When these authorities can have this power, why not this Commissioner? Then only you will be doing justice.

You have already deleted Section 2(*n*) of this Act in the year 2000 Now I request you to delete Section 12. I am not a trader or a businessman. If I say I am not a businessman, I need not pay any compensation. So that section is already deleted in 2(*n*). Now I request the Minister to delete Section 12 also. Otherwise, many people will not get any compensation. I propose these two amendments.

I again request you to go through the occupational diseases. New occupations have come up. In most of the occupations, nothing has been done so far. The occupational diseases may vary from region to region. The State Government should be authorised to search for the occupations and perhaps an expert should be appointed to help it in finding other occupational diseases. This must be given. With this, I support the Bill.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं मिनिस्टर साहब को इतना बढ़िया बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपके माध्यम से केवल एक बात मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ। Sir, I am drawing your attention.

महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ, कि फैक्ट्री के जो regular employees हैं, उनका तो नाम है, लेकिन जो regular employees नहीं है, जो scheduled worker नहीं है और जिसको बाहर से बोरो किया गया है, अगर वह फैक्ट्री में कोई काम करता है और उसमें वह मर जाता है, तो who will pay the compensation? This has to be clarified.

The previous speaker has rightly said that if the Commissioner does not dispose of the case within three months, and if the compensation has not been paid partly or completely, then what will happen? अगर उसकी जगह कोई सिविल जज रहेगा, तो बढ़िया होगा, क्योंकि आपने कहा है कि तीन महीने के अंदर इसका dispose of हो जाना चाहिए। आप इसके बारे में clarify करेंगे कि अगर वह तीन महीने के अंदर dispose of नहीं होता है, तो क्या होगा? अगर तीन महीने के अंदर फैसला हो जाता है, तो उसका execution कैसे होगा और कौन execute करेगा? अगर execute करना है, तो क्या फैसला करने के बाद उनका जो प्रिंसिपल employer होगा, उनको आधा पैसा जमा करना है या नहीं जमा करना है? इसके बारे में भी क्लीयर करेंगे।

सर, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि क्रियाकर्म के लिए, funeral के लिए जो आपने कहा है कि 5000 रुपए देंगे, वह ठीक नहीं है। Funeral के लिए 5000 रुपए काफी नहीं हैं, इसका amount बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सब चीजयें के दाम बढ़ गए हैं। जो electric cremation की मशीन है, उसके भी दाम बढ़ गए हैं, लकड़ी के दाम भी बढ़ गए हैं, इसलिए इस amount को थोड़ा बढ़ाना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आपने 80,000 रुपए से जो थोड़ा बढ़ाया है, वह कम है, उसे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। आपने मिला-जुलाकर यह अच्छा काम किया है कि workman और workmen को employee और employees में परिवर्तित कर दिया है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि ये जो बातें मैंने कही हैं, इन पर आप ज़रूर विचार करेंगे और इनका जवाब हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि ऐसे हजयरों-लाखों मज़दूर हैं, जो फैक्ट्रियों में जाते हैं, काम करते हैं और कभी कोई चिमनी गिर गई, कहीं कोई devastation हो गया और वह मर गया, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, कौन उसका employer होगा? मैं आशा करता हूं कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे और इसके बारे में जरूर कोई नियम-कानून बनाएंगे, धन्यवाद।

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Thank you, Sir, for allowing me to participate in the discussion on the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009. I have gone through the proposed amendment to improve the position by paying compensation to the workers as and when it is necessary. And also, a mention has been made about the contract workers. But, Sir, I think the hon. Minister is not aware of it— I come from the tea plantation area of the North-

East—that there are a huge number of workers in the regular schedule of the employers. They are popularly known as "f*altoo*" workers. There is no contract system. They are engaged in the tea gardens, including factories, for years together and they do not easily come into the regular schedule. Some of them come only when their own relatives who are there in the regular schedule of the tea gardens retire as workmen. Now, you have changed the name from "workmen" to "employees". Then only, they can substitute and become regular workers. They are entitled to avail all the benefits available at various levels. So, I will request the Minister to take note of it, and if you just miss it, I think, the proposed Compensation (Amendment) Bill will not be able to do justice to a great section of workers who are there in the North-Eastern area. I do not know the position about the plantation workers. There, the plantation is included; I know. But for the plantation workers of South India and the plantation workers of North India and North-East, there are differences. This matter has been gone into; otherwise, the proposed amendment for compensation of workers will not do proper justice or intended justice to the workers. Therefore, I request you to take note of the so-called, or popularly known, "*faltoo*" workers in the tea plantations of West Bengal and Assam. There are a huge number of them. I don't know what entitlement or authority the employers have to have more unscheduled workers than scheduled workers. I don't want to dispute this thing. But this is the situation. In view of the existing situation, this Workmen's Compensation (Amendment) Bill is not going to do justice to the workers. Therefore, I request the hon. Minister, while thanking him for bringing forward this Amendment Bill, 2009, to take note of these serious lapses. Along with this, I would request him, and I will be happy, to examine the Minimum Wages Act also. The payment of compensation is all right. But it will be incomplete if the Minimum Wages Act is also not examined along with it. You have to examine whether the industrial establishments are really paying the minimum wages as fixed by the Wage Board. There are many instances where these things are not being followed. I am also a trade union activist. I have learnt from my own experience that the industrial establishments do not bother about paying the wages as prescribed under the Minimum Wages Act. The non-implementation of the Minimum Wages Act by the industrial establishments in various sectors has to be considered. Your intention to give a lot of relief to the workmen as proposed in this Bill will not be met unless the related Acts are also examined. You should see whether they are getting the due wages or not. I appreciate the amendments brought forward by the hon. Minister. I thank him because I also do trade union activities. This will really bring a lot of relief to the workmen if it is really implemented in the true sense of the words. With these submissions, I conclude and thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I had asked a question about the jurisdiction. I had requested the Minister. Mr. Minister, before you reply to the debate, will you please let the House know how far the implementation of the law will be offshore and onshore?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सभी दलों की ओर से 12 सदस्यों ने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं और बहुत सी अच्छी सलाहें भी उन्होंने दी हैं। जो बिल यहां पर पेश किया गया है, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसकी प्रशंसा भी की है, इसके लिए मैं सभी सदस्य मित्रों को धन्यवाद देता हूं।

[**उपसभापति महोदय** पीठासीन हुए]

महोदय, इस बिल को बनाने में स्टैंडिंग कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ ही जो पहले के मंत्री महोदय थे, माननीय श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी ने बहुत कोशिश की और इस बिल को सदन में पेश किया लेकिन जैसा कि माननीय सांसद श्री तिरुची शिवा ने कहा है कि पार्लियामेंट भंग होने की वजह से इसको फिर से दुबारा यहां पर लाने की कोशिश की गयी। तो इन 12 सदस्यों ने और शणप्पा साहब ने, जो गुलबर्ग के बहुत बड़े नेता हैं, बात की। श्री रामचन्द्र खूंटिआ जी जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं उन्होंने अपना विचार रखा। श्री तपन कुमार सेन जी, श्री वीर पाल सिंह यादव, उन्होंने भी अपने विचार रखे। श्री आर0 सी0 सिंह जी, श्री तिरुची शिवा, श्रीमती विप्लव ठाकुर, श्री रुद्रनारायण पाणि जी, श्री टी0के0 रंगराजन जी, श्री राजनीति प्रसाद जी और श्री सिलवियस कोंडपन, जो आसाम के सीनियर नेता हैं, सभी ने इस बिल का स्वागत किया है तथा कुछ संशय भी व्यक्त किए हैं। खासकर के इस बिल में जो कॉम्पनसेशन बढ़ाने की बात थी, वह कॉम्पनसेशन बहुत ही कम है और खास कर शणप्पा साहब ने यह कहा कि लेबर को देने में हम बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सैक्शन-2e में जो एम्प्लॉयर रेस्पांसिबल है, तो उस डेफिनिशन में वह एम्प्लॉयर तो देगा, लेकिन 2500 से जो 5000 हमने की है, वह स्टेंडिंग कमेटी की सलाह है। लेकिन उसमें एक प्रावधान है, इनेबलिंग क्लॉज है, आज प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो जब यहां बढ़ाने का प्रावधान है, इनेबलिंग क्लॉज है, तो उसमें कुछ संशय की जरूरत नहीं है। अगर जल्द से जल्द जरूरत है, तो डेफिनिटली उसको इनहान्स करने का अधिकार गवर्नमेंट को है और फिर से सदन में आने की जरूरत नहीं। अमेंडमेंट के लिए कई महीने लगते हैं, उससे छुटकारा भी मिल गया। तो जो सदस्यों के मन में संशय है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह दूर हो जाए और हम नोटिफिकेशन के जरिए इसको इनहान्स कर सकते हैं और प्राइस इंडेक्स के मुताबिक करने के लिए ही वह एक प्रावधान रखा है। लेकिन जो अब 2500 है उसका अमेंडमेंट मैं समझता हूं कि सन् 2000 में कुछ हुआ है।.....(**व्यवधान**)

सन् 2000 में 2500 था। अब उसको आप ही ने 5000 बनाकर दिया है। फिर उसको बढ़ाना भी है तो डेफिनिटली गवर्नमेंट उसके बारे में सोचेगी और अगर उसकी जरूरत है तो वह करेगी। दूसरी चीज, फैक्टरी ऐक्ट के बारे में भी यहां बोले। वे सारी चीजें अलग हैं, फैक्टरी ऐक्ट हो या ई0एस0आई0 का अमेंडमेंट हो या इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट का अमेंडमेंट हो, ये एक के बाद एक इस सदन में आएंगे। मैं यह ही कोशिश करुंगा कि उस वक्त भी आप तमाम सदस्यगण उन ऐक्ट के अमेंडमेंट में मदद करेंगे। इसके बाद माननीय सदस्यों ने पूछा है कि सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी के कितने सजेसन्स या रिकमंडेशन्स को स्वीकार किया है। इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो इन्फॉरमेशन है, उस इन्फॉरमेशन के मुताबिक more or less हो सकता है एक या दो में कुछ बदलाव हो या डेफिनेशन में उसके रहने की वजह से, उसको हमने अलग रखा है, लेकिन more or less जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के सजेसन्स हैं या रिकमंडेशन्स हैं, उनको हमने माना है, चाहे वह डिसेबल्ड का हो या डेथ के बाद compensation देने का हो, उसके लिए भी हमने enabling clause रखी है, उसको भी हमने बढ़ाने का प्रावधान किया है। चाहे वह funeral expenses, चाहे वह disability का compensation हो, चाहे डेथ के बाद देने का compensation हो, इसको बढ़ाने के लिए प्राइस इंडेक्स के मुताबिक enabling clause करने की वजह से ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे, यह तो मिनीमम है, मैक्सिमम के लिए भी शैड्यूल 4 में प्रावधान है। जो सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति होता है, यदि ऐसे कामों में, जो भी हैजार्डस वर्क्स हैं, उन वर्क्स में, occupations में, वह अपनी जान गंवा देता है, मर जाता है या disable होता है, तो

उसके लिए एक केलकुलेशन है। इसमें उसकी चार-पांच लाख तक compensation बनती है, कम से कम एक लाख, डेढ़ लाख तक compensation बनती है, इसका पूरा शैड्यूल आपको मालूम है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका शैड्यूल 4 में आलरेडी प्रॉविजन है और शैड्यूल 2 और 3 में भी जो हैजार्डस वर्क्स हैं, occupations हैं, उसकी एक लिस्ट है। अगर कोई occupation इस लिस्ट में नहीं है, शैड्यूल 2 और 3 में नहीं है, उसको शैड्यूल 2 और 3 में शामिल करने के लिए एक स्टेट लेवल पर और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कमेटी होती है। अगर वह कमेटी यह महसूस करती है कि पर्टिकुलर कोई काम हैजार्डस है, वह हानिकारक है, तो उसको वह कमेटी इस शैड्यूल में तीन महीने का नोटिस देकर शामिल कर सकती है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह flexible है और हमने इस शैड्यूल 2 में जो भी restrictions थे, पहले एक कानून लागू था कि जहां पर 10 से ज्यादा मजदूर काम करते थे, वहां पर यह नियम लागू था या 15 से ज्यादा थे, उन्हीं पर लागू था, तो उन सारी चीजों को हटा दिया है और अगर एक आदमी भी काम करता है, उसको compensation देना चाहिए, इसका हमने इसमें प्रावधान किया है और इस अमेंडमेंट को आप पास कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि अगर एक आदमी भी नुकसान या हानिकारक occupation में काम करता है, उसको भी मुआवजा देना चाहिए। जब इस एक्ट में इतना बड़ा प्रावधान है, तो मैं समझता हूं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का और कोई occupation भी आता है, तो उसके लिए इसमें गुंजाइश है और उसको इसमें इन्क्लूड कर सकते हैं।

डेफिनेशन के बारे में बात कही गई है। वर्कमैन के बजाए एम्पलाई शब्द एक्ट में क्यों किया है, इसके बारे में पूछा गया है। इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि आजकल जेंडर न्युट्रल का जमाना है, अगर सिर्फ वर्कमैन बोले, तो बोलते हैं कि क्यों वर्कमैन बोले, तो इसीलिए उसको बदला गया है। सेकेंड लेबर कांफ्रेंस में जो इसके लिए रिकमंडेशन्स आईं थीं, उन रिकमंडेशन्स के आधार पर इसको बदलकर हमने Title से लेकर Preamble तक हर जगह पर जहां कहीं वर्कमैन है, उस जगह पर हमने एम्पलाई शब्द को रखा है। ये सारी चीजें हम इस बिल में लाए हैं और सभी सदस्यों ने इसका बहुत वेलकम किया है। जो खासकर पांच सुझाव हैं, वे पांचों वर्कर्ज के फेवर में हैं। हमने इसमें एक और नया प्रावधान किया है, जो रिएमबर्समेंट ऑफ actual medical expenses है। पहले यह actual medical expenses देने का या रेमिट करने का प्रावधान नहीं था। अब हमने उसको लागू किया है। हमें वर्कर्ज को actual medical expenses देना चाहिए। हमने यह वायदा भी पूरा किया है। पहले कमिश्नर की क्वालिफिकेशन थी, यानी workmen compensation में जो कमिश्नर के पद को नोटिफाइ किया जाता था, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती थी, डेफिनिशन में सिर्फ any person लिखा होता था, उसमें जैसे जजों के लिए लीगल क्वालिफिकेशन है, ऐसे ही करते थे। अब स्टेंडिंग कमेटी के सुझाव के अनुसार हमने उसमें विस्तार किया है, not only advocates, retired judges, gazetted officers और दूसरे HRD आदि के जो कोर्सेज़ करते हैं, उनको भी Workmen Compensation Act के तहत नोटिफाइ करने का अधिकार देना तय किया है। इससे हमें बहुत से अधिकारी मिल जाते हैं और जो भी vacancies होंगी, उनको भरना भी आसान होगा। दूसरी बात यह है कि जिनको बहुत नॉलेज़ है, हम उनको भी नोमिनेट कर सकते हैं, इसलिए बहुत से सदस्यों ने इसके बारे में एप्रिसिएशन भी किया है। Workmen Compensation और ESI को हमें अलग-अलग देखना चाहिए। जहां पर ESI का बेनिफिट मिलता है, उनको इससे रोकने के लिए क्या फायदा होगा? आप उनको इससे क्यों रोकते हैं? Workmenऽs Compensation में भी यह फायदा होना चाहिए और ESI में भी देना चाहिए। इससे यह होता है कि एक वर्कर को Compensation मिलता है और दूसरे वर्कर को Compensation न मिलने की वजह से heart-burning होती है। इसलिए हमने यह एक अच्छा काम करने की कोशिश की है। दूसरे, प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने से इसमें देरी हो जाएगी। जिस दिन यह प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया से आता है, उसी दिन इसको नोटिफाइ करके लागू करना चाहिए, नहीं तो फिर इसको सरकार में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, माननीय सदस्यों ने ऐसा संशय व्यक्त किया

है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आश्वासन देता हूं कि as soon as President का assent आएगा, तो डेफिनेटली हम नोटिफिकेशन जल्द से जल्द इश्यु करेंगे। हम इसमें कोई देरी नहीं करेंगे। अगर देरी करेंगे, तो यहां कानून लाकर भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंने स्टेट में भी ऐसे बहुत से कानून देखे हैं और यहां भी ऐसे कानून हो सकते हैं कि वे कानून पास तो होते हैं, बिल पास होते हैं, लेकिन from the date of notification बोलने से कई दफा वह notification नहीं होता है और वह ऐसे ही पड़ा रहता है। हमें इस बात का पूरा-पूरा ख्याल है और हम इसके बारे में जानते हैं कि वहां से assent होकर आने के बाद हम नोटिफाई कर देंगे। एक बात कोर्सेज की हुई है। वह तो हमारे डेफिनिशन में है और हमने उसको 2-D में रखा है। आपने भी अमेंडमेंट में देखा होगा।

It covers the whole of India as per section 1(ii), which includes operational area. हम जो नया अमेंडमेंट लाए हैं It also covers the overseas. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अब यह समस्या भी आपके सामने नहीं होगी। अभी माननीय सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि जो वर्कमैन कम्पेनसेशन मिलता है, अगर बहुत से बाहर के कामगार दूसरी किसी स्टेट में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं या ट्रैवल करते हैं, फोर एग्जेम्पल बिहार के वर्कर्स दिल्ली में आए या बिहार के वर्कर्स कर्नाटक में आए, तमिलनाडु में आए, तमिलनाडु के वर्कर्स आंध्र में गए या आंध्र के उधर गए, उनके लिए यह केस फोलो करना बहुत मुश्किल होगा और उनको कम्पेनसेशन मिलने में दिक्कत होती है, आपका ऐसा कहना है, इसके लिए Under section 21(ii), the commissioner can transfer the cases to other commissioner within the State or outside the State. It can avoid the expenses and frequent visits to the offices. ये सारी चीजें हमने इसमें की हैं, लेकिन एक बात एनकोड करना इसमें संभव नहीं है, हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे कि जो सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन कमिश्नर को देना चाहिए कि जो डिसीजन देते हैं, तीन महीने के अंदर, उसको एग्जिक्यूट करने के लिए जो वक्त लगता है, वह फिफ्टी परसेंट अमाउंट डिपोजिट करके जाएगा। वह प्रावधान इसमें नहीं है। इसे करने की आपकी सलाह है, यह अच्छी सलाह है, हम डेफिनिटली इस पर सोचेंगे। यह एक बहुत बढ़िया सलाह आपने दी है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन फिलहाल इस बिल में यह नहीं है। एक बात और है कि यह कांट्रेक्ट् लेबर्स पर लागू होगा कि नहीं या कैजुअल लेबर्स पर होगा। In other words, an employee henceforth working either on casual or contract basis whether engaged directly or indirectly is covered within the existing definition. What we have proposed is just to replace the word 'workmen' with 'employees'. Therefore, everything depends on implementation. The implementation of the Act lies with the State Government. Yes, we all can try; Members of Parliament can try, the Government of India will try; every one of us can try our best to implement it. But, ultimately, the State Government should have a commitment to implement it. That is the most important thing. Unless we have the mind and the heart, I do not think passage of any number of laws will not help. But, to really help or assist them, all the State Governments should work on this issue and ये बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स हैं और करोड़ों वर्कर्स को इससे फायदा होगा। मुझे खुशी है कि सदन के सारे सदस्यों ने इसको एकमत से सपोर्ट दिया है। मैं आप तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): I suggested that the commissioner's power is not mentioned there. The commissioner must have power like the civil court judge or the provident fund commissioner or the ESI commissioner. If the Commission has not given any power nobody will deposit 50 per cent amount in the Commissioner's office. That must be given first. The second thing is, delete Section 12. Section 12 should not be there. You have already deleted Section 2 (n).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has appreciated your suggestion.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Mere appreciation will not help the worker.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, it cannot be done.

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, नजमा जी ने जो कहा था, इसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Since you are a senior man and you have got more knowledge in this, but, still I will bring to your kind notice Section 23, the powers and procedure of Commissioners. "The Commissioner shall have all powers of a civil court under the code of civil procedure, 1908 for the purpose of taking evidence on oath which such Commissioner is hereby empowered to impose and for enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects and the Commissioner shall be deemed to be a civil court for all the purposes."

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, हमारे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री उपसभापति : आपका क्या सवाल था?

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, मैंने दो बार पूछा था।

श्री उपसभापति : मंत्री जी, आपने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैंने जवाब दिया, लेकिन वे बात कर रही थीं।

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: I am sorry. Can you repeat it? I am very sorry.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It covers the whole of India as per Section 1(2) and it also includes abroad. यह अमेंडमेंट में 2(d) में इसके Definition में है।

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: What about territorial water, Deep sea?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It covers territorial water, sea, air, everything.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was put and the motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past four of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 2nd December, 2009.